इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429] भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर 2011—भाद्र 30, शक 1933

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2011

क्र. एफ 2-13-2011-26-1.—नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 32 के अधीन नि:शक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8-3-2004-आ.प्र.-एक, दिनांक 2 अप्रैल 2004 द्वारा, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. उक्त समिति के प्रतिवेदन अनुसार राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची-''एक'' में उल्लेखित 31 विभागों की स्थापनाओं में अनुसूची-''दो'' में दी गई विशिष्टियों के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन करती है:—

अनुसूची-''एक''

1. सामान्य प्रशासन विभाग
2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
4. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
5. खनिज साधन विभाग
6. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

7. उच्च शिक्षा विभाग

8. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

9. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

10. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

11. आवास एवं पर्यावरण विभाग

12. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

13. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

14. महिला एवं बाल विकास विभाग

15. [illegible]ल विभाग

16. [illegible], आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

17. [illegible] विभाग

18. [illegible] प्रशासन एवं विकास विभाग

[illegible]पालन विभाग

[illegible], [illegible]गरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

[illegible] विभाग

[illegible] विभाग

[illegible] विभाग

[illegible] कल्याण विभाग

[illegible] विभाग

[illegible] विभाग

[illegible] राहत एवं पुनर्वास विभाग

[illegible] विभाग

[illegible] विभाग

[illegible] विभाग

[illegible] विभाग

WWW. GOVTPRESSMP.NIC.IN

निःशक्तजनों के लिए चिन्हांकन वन विभाग

विभागाध्यक्ष का नाम : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6 %)	चिन्हांकित पद/ संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तृतीय श्रेणी			1886	113					वनक्षेत्रपाल एवं वनरक्षक का पद कार्यपालिक होकर इनका कार्यक्षेत्र दुर्गम एवं विषम परिस्थितियों का है इसलिए इन पदों पर भर्ती नियमों में भर्ती में शारीरिक रूप से पूर्णतयाः उपयुक्त होने की शर्तें निर्धारित की गई है। अतएव वनक्षेत्रपाल / वनरक्षक पदों पर निःशक्तजनों की नियुक्ति से छूट आवश्यक है।
1	शीघ्रलेखक	197			4	—	—	4	
2	मानचित्रकार	203			4	—	—	4	
3	सहायक ग्रेड–3	1486			30	38	37	105	
योग		1886	1886	113	38	38	37	113	
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य		950	57	19	19	19	57	
योग			950	57	19	19	19	57	

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय,

वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 3–52/2009/10–1

भोपाल, दिनांक 5 जून,2012

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय : वनरक्षकों के सीधी भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशा–2 की टीप क्रमांक–11, दिनांक 06.01.2012 एवं कार्यालयीन आदेश एफ 3–55/2001/10–1, दिनांक 03.04.2008

—0—

विषयांकित प्रकरण के संबंध में विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3–55/2001/10–1 दिनांक 03.04.2008 की कंडिका–3 का अवलोकन करे। (प्रतिलिपि संलग्न है)। कंडिका–3 निम्नानुसार है –

'एतद् द्वारा राज्य शासन द्वारा वनरक्षकों के वर्तमान में रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष वनरक्षकों के रिक्त होने वाले पदों को उस वर्ष में भरने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।'

कृपया पूर्व आदेशानुसार वनरक्षको के पद भरने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आर.के.त्रिपाठी),

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0क्रमांक/एफ 3–52/2009/10–1

भोपाल, दिनांक जून, 2012

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उनकी यू0ओ0 टीप क्रमांक 214/2012/ब–5 दिनांक 29.05.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, माननीय वनमंत्री जी भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. निज सचिव, माननीय राज्य वनमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव